न्यायालय श्री राजीव कुमार अवर न्यायाधीश अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी, खगड़िया

टी0एस0 26 / 2021

आदेश

20.12.2021 वादी की ओर से पैरवी है। वाद का पुकार किया गया पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनंत प्रसाद द्वारा दिनांक 20.12.2021 को आदेश 01 नियम 10(2) एवं आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 के तहत दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन को संचालित करते हुए कथन किया गया है कि वादी का वाद ग्रहण हेतु चल रहा है। टंकण भूलवश वादी का नाम वाद पत्र के टाईटिल पेज 03 के सिरियल नं0 14 प्रतिवादी द्वितीय पक्ष में राजीव कुमार पिता स्व0 केशव कुमार टंकित हो गया है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल इस संशोधन आवेदन को स्वीकृत करते हुए वादी का नाम वाद पत्र के टाईटिल पेज 03 के सिरियल नं0 14 से विलोपित कर तथा प्रतिवादियों का सिरियल नं0 संशोधन करने का आदेश देने की कृपा की जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह वाद अभी ग्रहण हेतु लंबित है और यह वाद अभी शुरूआती स्तर पर है। उपरोक्त संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वादी का आवेदन शपथपत्र से समर्थित है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 20.12.2021 को स्वीकृत किया जाता है तथा वादी को निर्देश दिया जाता है कि विहित समय सीमा के अन्दर वाद पत्र में उपरोक्त संशोधन करें।

वाद दिनांक 18.01.2021 वास्ते अग्रिम क्रिया।

लेखापित

अवर न्यायाधीश